

2021/480

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

राजस्थान सरकार


न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ जिला-जोधपुर
प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2021 कैम्प- पाप्पी राणावत
क्रमांक:- प्र.गां.के.सं.अ./2021/983 दिनांक:- 11/11/21

प्रेषित:- तहसीलदार भोपालगढ़
जिला जोधपुर

विषय:- DILRMP के तहत की गयी गलत तरमीम दुरुस्ती करने बाबत। (एलआर एक्ट की धारा 131,136 के तहत)

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम- पाप्पी राणावत पटवार हल्का पाप्पी राणावत
के खाता संख्या 324 जिसके खसरा नं. 710 रकबा 8.5389 हे०
किस्म काशनी की तरमीम दुरुस्ती के तहत प्राप्त प्रार्थी के आवेदन पत्र,
पटवारी पाप्पी राणावत भू अभिलेख निरीक्षक पाप्पी राणावत की जांच रिपोर्ट एवं
तहसीलदार भोपालगढ़ की स्पष्ट अनुशंसा के आधार एवं राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार संलग्न नजरी नक्शा
अनुसार खसरा नक्शा भूमि में तरमीम दुरुस्ती की स्वीकृति दी जाती है एवं तहसीलदार भोपालगढ़ को
आदेशित किया जाता है कि तरमीम दुरुस्ती अनुसार नक्शे में इन्द्राज करे।

नोट:- पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक जांच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा एवं तहसीलदार भोपालगढ़ की
अनुशंसा रिपोर्ट इस निर्णय का भाग रहेगा।



(हवाई सिंह यादव)
प्रभारी अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़)
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

क्रमांक:- सम/ 989

प्रतिलिपि:-

1. प्रार्थी श्री वागुपत को सूचनार्थ।



दिनांक:- 11/11/21

(हवाई सिंह यादव)
प्रभारी अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़)
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

4/16/21
H.R.P.

